



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विवाची परिशिष्ट

भाग-4, भाग 3 (ख)

1 (परिनियत आदेश)

सबनज, सोमवार, 6 जून, 1983

जेष्ठ 16, 1905 श.स. सम्यक्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग-2

संख्या-8777/37-2-S1-62 एल० ए०-81

सबनज, 4 जून, 1983

सचिवसूचना

पृ० 110-129

भूमि श्रजेत अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या 1 गृह 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्य-पाल सर्वेसाधारण की सूचना के विषये अधिसूचित करते हैं कि संघर्ष की सूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन, सर्वेक्ष, इलाहाबाद विधान्य आधिकारण, इलाहाबाद द्वारा भूमिबोजित विकास योजना (सूचक) के संघर्ष जिला इलाहाबाद के ग्राम-नक नवरा, प्रलोमाबाद में एकीकृत नगरपाल विकास योजना (प्लान) के परिलेख संख्या 7 के अधीन आयोजित उपनिवेश के निर्माण के लिये आवश्यकता है।

2-मुक्ति राज्यपाल की राय है कि ऊपर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) और (1-ग) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं, क्योंकि उक्त भूमि की, जो कृष्य है और वंजर और कृष्य से मिल भूमि की है, उपसूचक इलाहाबाद विकास आधिकारण, इलाहाबाद द्वारा सुनिश्चित विकास योजना के अधीन जिला इलाहाबाद के ग्राम-नक नवरा, प्रलोमाबाद में एकीकृत नगरपाल विधान्य योजना के परिलेख संख्या 7 के अधीन आयोजित उपनिवेश के निर्माण के लिये आवश्यकता है और इस आवश्यकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि ऊपर अधिनियम की धारा 1-क के अधीन जॉय करने में सम्भावित विज्ञान की निर्माण विज्ञान पाय, यतएव राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्दिष्ट होते हैं कि ऊपर अधिनियम की धारा 5-क के उपबन्ध लागू नहीं होते।

1	2	3	4	5	6	7
दलाहाबाद (क्रमशः)	धरम (क्रमशः)	चक बबुरा धरमदाद (क्रमशः)		बी०	वि०	दूर
		6		0	13	0
		7/1		0	6	0
		7/2		0	6	0
		8		0	1	0
		9		0	2	0
		10/1		0	1	7
		10/2		0	4	13
		11/1		0	10	0
		11/2		0	17	0
		11/3		0	11	0
		11/4		0	10	0
		12/1		0	19	0
		12/2		0	19	0
		12/3		1	18	0
		13/1		1	2	0
		13/2		0	11	0
		15		2	2	0
		16/1		0	5	10
		16/2		0	5	10
		17		0	1	0
		18		0	4	0
		19		0	2	0
		20/1		0	11	0
		20/2		0	10	0
		21/1		0	3	0
		21/2		0	3	0
		22/1		0	3	10
		22/2		0	3	10
		23		0	7	0
		24/1		0	4	0
		24/2		0	4	0
		25/1		0	2	0
		25/2		0	2	0
		26		0	2	4
		27		0	11	0
		28		1	11	0
		29/1		1	3	0
		29/2		0	10	0
		30		0	13	0
		31		0	13	0
		32/1		0	19	0
		32/2		0	19	0
		32/3		0	19	0
		33		0	17	0
		34		1	6	0
		35		1	8	0
		36		0	4	0
		37		0	3	0
		38		0	3	0
		39		1	0	0



लाइसेन्स सं० उदत्त० पी०—४१

(लाइसेन्सड, पोस्ट विद्यालय प्रीलिमिनेर)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विषय-परिशिष्ट

नियम-4, खण्ड (ख)

(परिणियत आदेश)

सद्यः, बृहस्पतिवार, 16 जून, 1983

ज्येष्ठ 26, 1905 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

शाबास अन्तर्भाग--2

३०-७६२/३७-२-८२-०२-५४०५०-८१

मधुनऊ, १६ धून, १९८३

अधिसूचना

70 *Mathematics* 43

भूमि प्रजनन अधिनियम, 1891 (प्राधनियम संख्या 1, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 17 से उपधारा (4) के अन्तर्गत आने की गयी सत्कारी भूमिमुचता संख्या-18777-37-2-81-62-एच००-०-०1, दिनांक 1 जुलै, 1883 के तय में राज्यपाल जगत याधनियम की धारा 4 के अन्तर्गत घोषणा करने के लिए उनका समुदाय हो गया है। निम्न में कृषि कर्मचारियों में उल्लिखित भूमि की संपत्ति प्रमाणित, प्रत्यक्ष सुनिश्चित विकास योजना के अन्तर्गत विकास योजना के अन्तर्गत, अन्तर्गत द्वारा जिला इलाहाबाद के भूमि-सक विस्तार योजना के अन्तर्गत संख्या-2 के अन्तर्गत प्राकृतिक उन्नयन के निर्माण के तहत आवश्यकता है। उपर उल्लिखित भूमि की धारा 7 के अन्तर्गत उपाधारा के अन्तर्गत के निर्माण के तहत है। निम्न में उक्त भूमि का प्रवेश करने के तहत कार्य-कर्म करे।

३.—पूर्विक राज्यपाल का समाधान हो गया है कि वह मातृभा. सार्वजनिक है, इसलिये वे उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) और उपधारा (1-क) के अधीन यह भी निर्देश देने हैं कि यद्यपि धारा 11 के अधीन कोई अधिनियम नहीं किया गया है, उपराज्यपाल को गवर्नर जनरल लोक प्रयोजन के लिये अनुमति में उचिततम प्रतिष्ठान

उत्तर प्रदेश अध्यापन गवर्नर, 16 मई, 1933

5

1	2	3	4	5	6	7
उपस्थिति-- (समयमान)	शरीर-- (समयमान)	पठनपूर्व परीक्षा-- (समयमान)		श्री 0	श्री 0	पु०
			7/1	0	6	0
			7/2	0	6	0
			8	0	1	0
			9	0	2	0
			10/1	0	1	7
			10/2	0	4	13
			11/1	0	19	0
			11/2	0	17	0
			11/3	1	11	0
			11/4	0	16	0
			12/1	0	19	0
			12/2	0	19	0
			12/3	1	18	0
			13/1	1	2	0
			13/2	0	11	0
			15	2	2	0
			16/1	0	5	18
			16/2	0	5	10
			17	0	1	0
			18	0	4	0
			19	0	2	0
			20/1	0	11	0
			20/2	0	10	0
			21/1	0	3	0
			21/2	0	3	0
			22/1	0	3	10
			22/2	0	3	10
			23	0	7	0
			24/1	0	4	0
			24/2	0	4	0
			25/1	0	2	0
			25/2	0	2	0
			26	0	2	4
			27	0	11	0
			28	1	11	0
			29/1	1	3	0
			29/2	0	10	0
			30	0	13	0
			31	0	13	0
			32/1	0	19	0
			32/2	0	19	0
			32/3	0	19	0
			33	0	17	0
			34	1	6	0
			35	1	3	0
			36	0	4	0
			37	0	3	0
			38	0	3	0
			39	1	0	0
			40/1	0	3	0
			40/2	0	17	0
			41/1	0	9	0

विवरण

40577

ग्राम बंध बबुरामसोमबाद, परगना भरत, मंडलीय परगना, जिला बाबूबाद के दिनांक

2.4.85 को कृषि विभाग के कोमचार सुधी :-

गाँव नाम	दिनांक	विवरण
6	0-10-19	
7/1	0-5-12	
9	0-2-0	ग्राम 1, महुआ 3 पेड़
10/2	0-4-13	
11/1	0-10-0	
11/2	0-17-0	ताड़ 2 पेड़
11/3	0-11-0	
11/4	0-10-0	
12/1	0-19-0	
12/3	1-18-0	
13/1	1-2-0	
13/2	0-11-0	
15	2-2-0	
16/2	0-5-10	
18	0-4-0	
20/1	0-11-0	
21/2	0-3-0	
22/1	0-3-10	
22/2	0-3-10	
32/1	0-19-0	
32/2	0-18-5	
32/3	0-16-0	
33	0-16-5	
42	1-1-0	
43	0-5-0	ग्राम 1 पेड़
45	1-17-0	
46	0-10-0	
48	1-6-0	
49	0-6-0	
50	1-5-0	महुआ 2, ग्राम 9
51	1-8-0	कृषि पत्र 1 (परिष्कार सेट की है)
52	0-11-0	
53	0-10-0	
54/1	0-13-0	
54/2	0-13-0	

amby

-- 7 --

493	0-7-0	
494	0-2-0	
495/1	0-8-0	
495/2	0-4-0	मीम 2, माम 6
497	0-9-0	तद्व 1
498	1-7-0	
499	0-16-0	
500	1-18-0	
501	0-16-0	
502	1-6-0	2-6-0 ✓
503	1-0-0	
505	0-15-0	
506	1-17-0	
508	0-16-0	
509/2	0-2-0	
510	0-6-0	
511/1	0-2-0	
513/1	0-4-0	
514	0-6-0	
515	0-10-0	माम 1 पेद्व
516	0-8-0	
517/1	0-8-0	
517/2	1-15-0	
517/3	0-3-0	
517/4	0-6-0	
519	1-2-0	
520	1-17-0	
522/1	0-7-0	
522/2	0-8-0	
523	0-7-0	
529	0-18-0	
531	2-2-0	
532	0-16-0	
533	0-18-0	
534	1-7-0	मीम 1, माम 7, महुआ 3
535	1-4-0	
536/1	1-3-0	
536/2	0-18-10	

योग = 252-19-1

9/12/2019
माम 1, माम 7, महुआ 3
माम 1, माम 7, महुआ 3
माम 1, माम 7, महुआ 3

माम 1, माम 7, महुआ 3
माम 1, माम 7, महुआ 3